झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–328 / 2019

महेश्वर प्रसाद साव, राधा कृष्ण साव के पुत्र ..... याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक, अपने अधिकृत अधिकारी, चिरागोरा शाखा के माध्यम से, झमपोरा रोड, हीरापुर। ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विश्वनाथ रॉय, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : श्री पी0एस0ए0 पति, अधिवक्ता

4 / दिनांकः23वीं नवम्बर, 2020

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता की सहमति से मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। उन्हें किसी भी ऑडियो और विजुअल कनेक्टिविटी के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

इस सिविल विविध याचिका को डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1842 / 2018 की पुनःस्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2019 को पारित अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अनुल्लंघनीय आदेश दिनांक 01.04.2019 को समझने में हुई गलतफहमी के कारण, इस न्यायालय द्वारा दिए गए लंबित समय के भीतर पूर्वोक्त त्रुटि को दूर नहीं किया जा सका अर्थात यह प्रतीत हुआ कि दोषों को दूर करने के लिए दो सप्ताह दिए गए हैं और उस भ्रम में त्रुटि को, इस न्यायालय के आदेश द्वारा दिये गये समय दिनांक 01.04.2019 के भीतर दूर नहीं किया जा सका था।

यह आगे निवेदन किया गया है कि यदि वर्तमान सी0एम0पी0 को अनुमति नहीं दी जाएगी, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और नुकसान होगा और इसलिए, रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जा सकता है ताकि रिट याचिका को अपनी मेरिट के आधार पर तय किया जा सके।

श्री पी0एस0ए0 पति, प्रतिवादी–पंजाब नेशनल बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1842/2018 को इसकी मूल फाइल में इस आधार पर पुनःस्थापन में गंभीर आपत्ति जताई है कि दिनांक 01.04.2019 का आदेश बहुत स्पष्ट और सुब्यक्त है और गलत धारणा का कोई सवाल ही नहीं है।

इस न्यायालय ने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा और इस मामले को मेरिट के आधार पर न्यायनिर्णित नहीं किया जाता है तो रिट याचिकाकर्ता उपचाररहित हो जाएगा, उपरोक्त पहलू को और न्याय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1842/2018 को अपनी मूल फाइल

में पुनःस्थापित करके नागरिक विविध याचिका को अनुमति देने के लिए इसे फिट और उचित समझा।

तदनुसार, रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1842/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

इस सी0एम0पी0 को, तदनुसार निपटाया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)